न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स /01/13

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1–प्रेमवती पत्नि स्व. गोविन्ददास कौम बाबाजी निवासी नावली तहसील बयाना

2–महेन्द्र कुमार
3–शान्ति स्वरुप
4–जगदीश प्रसाद
} स्व. गोविन्ददास कौम बाबाजी निवासी नावली तहसील बयाना

5–राधेश्याम

6– बच्चू
7–मोहन
} पि0 गंगाधर कौम मीना निवासी नावली तहसील बयाना

8–रमेश

9–बटेरी पुत्र फत्ते कौम मीना निवासी नावली तहसील बयाना

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थितः–

1–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

2–श्री गोविन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश

दिनांक 31.03.2021

प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार बयाना द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम 1956. इस आशय का पेश किया गया है। जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 88, 951 955 956, 958, 952, 953, 975 बांके ग्रांम नावली तहसील बयाना में स्थित है जमाबन्दी सम्वत् 2016 ग्रांम नावली में मदिर श्री लक्ष्मीनारायन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जी महाराज व अहतमाम जमुनादास, चेला सुन्दरदास कौम वैरागी नागा साकिन देह माफीदार देन राज के नाम ,भूमि अधिकारी कालम न0 4 में दर्ज रिकार्ड थे तथा इसी जमाबन्दी के कॉलम न0 5 में नाम कृषक मे ख.न. 88, 952, 953, 975 पर मकबूजा माफीदार तथा ख.न. 951, 955, 956, 958 पर खु. जमुनादास माफीदार 2 बैल गंगाधर व बटेरी व रामहेत पि0 फत्ते व हिस्सा बराबर कौम मैना 2 बैल सा. देह दर्ज रिकार्ड था। बन्दोवस्त से पहले के नामान्तकरण संख्या 275 विरासतन उक्त भूमि पर जमुनादास के बजाय गोविन्ददास वल्द जोहरी बाबाजी वाकी बदस्तूर के नाम तथा बन्दोवस्त में नामान्तकरण संख्या 67 से गोविन्ददास के बजाय मु. प्रेमवती वेबा गोविन्ददास, महेन्द्र कुमार, शान्ति स्वरुप, जगदीश प्रसाद, राधेश्याम पि0 गोविन्ददास हिस्सा बराबर कोम बाबाजी के नाम कर दिया गया। बन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त साविक खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर 120/0.09, 1911/0.03, 1912/0.03, 1918/0.03, 2304/0.39, 2305/0.25, 2306/0.20, 1908/0.06, 1909/0.07, 1910/0.11, 1914/0.53, 1916/0.17, 1917/0.35, 1915/0.51, 2302/0.38, 2303/0.27, किता 16 रकवा 3.47 हे0 बनाये गये हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2065 ग्रांम नावली खसरा नम्बरान 120, 1911, 1912, 1918, 2304, 2305, 2306, किता 7 रकवा 1.02 है0 प्रेमवती बेबा गोविन्द दास, महेन्द कुमार शान्तीस्वरुप, जगदीश प्रसाद राधेश्याम पि0 गोविन्ददास कौम बाबाजी सा. देह तथा ख.न. 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 2302, 2303, किता 9 रकवा 2.45 है0 प्रेमवती बेबा गोविन्ददास व महेन्द्र कुमार, शान्ती स्वरुप जगदीश प्रसाद राधेश्याम पिसरान गोविन्द दास हि. बटा 1/2 कौम बाबाजी, बच्चू मोहन रमेश पि0 गंगाधर हि व 1/4 बटेरी पुत्र फते हि 1/4 कौम मीना सा0 देह के नाम दर्ज खातेदार है जो नामान्तकरण संख्या 452 से विरासतन दर्ज किया गया है। उक्त भूमि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायन जी महाराज की भूमि पर किये नामान्तकरण संख्या 275, 67 एवं 452 से अप्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियॉ अवैध है क्यों कि मन्दिर मूर्ति को कानूनन शास्वत अल्प वयस्क नावालिग माना गया है। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर कानून कोई खातेदार अधिकार दैय नहीं होते है। अप्रार्थीगण के नाम किये गया खातेदार का अंकन प्रारम्भ से ही अवैध व नल एण्ड वोइड हैं। प्रार्थी तहसीलदार ने साविक आराजी खसरा नम्बर 88, 952, 953, 975, 951, 955, 956, 958 जिनके नवीन खसरा नम्बरान 120/0.09, 1911/0.03, 1912/0.03, 1918/0.03, 2304/0.39, 2305/0.25, 2306/0.20, 1908/0.06, 1909/0.07, 1910/0.11, 1914/0.53, 1916/0.17, 1917/0.35, 1915/0.51, 2302/0.38, 2303/0.27, किता 16 रकवा 3.47 हे0 ग्रांम नावली तहसील बयाना हैं पर अप्रार्थीगण के नाम की गई खातेदारी व नामान्तकरण को निरस्त कराया जाकर भूमि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायन जी महाराज विराजमान ग्रांम नावली के नाम करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। अप्राथीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब शामिलि मिसिल किये गये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वे अहतमाम जमुनादास चेला

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

सुन्दरदास कोम वैरागी नागा के नाम है। जरिये नामान्तकरण संख्या 275, 67 एवं 452 आराजी विरासतन पुजारी दामोदरदास के पुत्रों के नाम दर्ज कर दी गई। उनका कहना है कि मूर्ती मन्दिर की जमीन पर अप्रार्थीगण के नाम खातेदार अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि मूर्ती स्वतः नाबालिग होती है और मूर्ती मन्दिर की भूमि पर किसी को किसी भी प्रकार से अधिकार नही मिल सकते हैं। मन्दिर मूर्ती की भूमि पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 275, 67 एवं 452 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तकों में जाहिर किया कि विवादित भूमि का दर्ज रेफरेंस मूर्ती मन्दिर श्री लक्ष्मीनायण जी महाराज की भूमि का नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी है अप्रार्थीगण को विवादित आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। नामान्तकरण संख्या 275, 6, 452 की प्रविष्ठियाँ अवैध न होकर वैध पूर्ण तरीके से की गई हैं। उनका तर्क है कि सभरी साविक खसरा नम्बर अप्रार्थीगण के बाबा जमुनादास को माफी में प्राप्त हुये थे एवं साविक आराजी खसरा नम्बर 951, 952, 953, 955, 958, सम्वत् 1988 राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व परमोली बल्द बुलाकी 3 बैन उमराव बल्द मेदा 1 बैल की गैर मौरुसी कब्जे की आराजी रही है। सम्वत 1988 में उक्त विवादित आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण महाराज की न तो खातेदारी में रही है और न ही मालिकाना हक में रही है और न ही कभी उक्त आराजी मन्दिर को प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड में कालम न. 4 के इन्द्राज गलत दर्ज किये गये हैं जो अप्रार्थीगण के हक में शून्य हैं। विवादित आराजी जमाबन्दी स. 2016 खाना न0 4 की थी अगर माना जावे तो जो विवादित आराजी माफी में अप्रार्थीगण के बाबा जमुनादास को प्राप्त हुई थी माफी मूर्ति मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण को नही दी गई थी और माफी रिज्यूम होने पर जमुनादास को खातेदारी प्राप्त होगई क्यों कि वक्त रिज्यू खातेदारी जमुनादास की काश्त में थी। वक्त माफी जो व्यक्ति कब्ज काश्त में था उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये इसलिए जो भी नामान्तकरण अप्रार्थीगण के पिता पूर्वजों के नाम हुये हैं वह कानून सही हुये हैं। नामान्तकरण संख्या 275, 67, 452 सभी का रेफरेस सरकार द्वारा संयुक्त रुप से प्रस्तुत किया गया है। कानून प्रत्येक नांमान्तकरण का अलग अलग रेफरेस प्रस्तुत किया जाना मेन्डेटरी प्रवधान है। उक्त रेफरेन्स असाधारण देरी से पेश किया गया है। रेफरेन्स को देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अंकित नही किया गया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 14 एवं 109, आरआरडी 1996 पेज 535, आरआरडी 2013पेज 45, आरआरडी 1997 पेज 316 उद्धरत करते हुये रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2008, जमाबन्दी सम्वत् 2016, जमाबन्दी सम्वत् 2012–15, जमाबन्दी सम्वत् 2016–2019, जमाबन्दी सम्वत् 2020–23, जमाबन्दी सम्वत् 2029–32, जमाबन्दी सम्वत् 2020, जमाबन्दी सम्वत् 2029–32, जमाबन्दी सम्वत् 2024, जमाबन्दी सम्वत् 2024, जमाबन्दी सम्वत् 2020, जमाबन्दी सम्वत् 2030, जमाबन्दी सम्वत् 2065–68, जमाबन्दी सम्वत् 2057–60, जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064, जमाबन्दी सम्वत् 1988 का अवलोकन किया गया। नकल मिलान क्षेत्रफल 2051–70 में साविक खसरा नम्बर 88,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

951, 952, 953, 955, 958, 975 से नवीन खसरा नम्बर 120, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 1911, 1912, 1917, 1916, 1914, 1908, 1909, 1910, 1918 बनाये गये हैं।

जमाबन्दी सम्वत् 2008 में खाता संख्या 503 आराजी खसरा नम्बर 951, 952, 955, 956, 958 पर कॉलम 5 में फत्ते बल्द ग्यासिया मैना 2 बैल नानगा वल्द भोती सक्का 2 बैल साकिन देह गैर मौ. दर्ज है, एवं कॉलम न. 4 (नाम मालिक) मंदिर श्री लक्ष्मीनाराण जी बहतमाम जमुनादास चेला सुन्दरदास कौम बैरागी सा. देह माफीदार दर्ज है। जमांबन्दी सम्वत् 2012–15 में कालमं 4 में मंदिर श्री लक्ष्मीनाराण जी महाराज बहतमाम जमुनादास चेला सुन्दरदास कौम बैरागी नागा सा. देह माफीदार राज व कॉलम सं. 5 में मकबूजा माफीदार दर्ज है एवं भूमि कर वाले कॉलम में बिला लगा सरकारी व ऐवज सेवा पूजा के मंदिर लक्ष्मीनाराण जी महाराज दर्ज है। जमांबन्दी संम्वत 2016–2019 में कॉलम 4 पूर्वानुसार इन्द्राज है एवं कृषक विवरण वाले कॉलम जमुनादास माफीदार 2 बैल गंगाधर बटेरी व रामहेते पिसारा फते व हिस्सा बराबर कौम मैना 2 बैल सा. देह दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2020–23 में जमनादास चेला सुन्दरदास कौम बैरागी , गंगाधर बटेरी रामहेत पिसरान फते कौम मीना खातेदार दर्ज है।

उक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी मूर्ती मन्दिर लक्ष्मीनाराण जी महाराज की माफी की है और मूर्ती की सेवा पुजा के लिये पुजारी अहतमाम के रुप में जमुनादास चेला सुन्दरदास कौम बैरागी का नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 275 की पुश्त पर अंकित सरपच, ग्रांम पंचायत नावली के आदेश इस प्रकार है –

"कार्यालय ग्रांम पंचायत नावली"

".....आज यह दाखिलखारिज रोवरु ग्रांम पंचायत पेश हुआ। श्री जमुनादास महन्त का देहान्त हो चुका है। मुताविक वसीयतनामा के श्री गोविन्ददास पुजारी पुत्र जोहरी बाबाजी सा. नावली के नाम सर्वसम्मिति से यह दाखिल खारिज मंजूर किया जाता है। और शिव लाल पुत्र पूरन दास का जो वैसीयतनामा इससे पहिले था उसके नाम की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अतः पटवार कागजात में अमल दरामद किया जावे.....।"

उक्त नामान्तकरण संख्या 275 के कॉलम नम्बर 4 में "...मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज व अहतमाम जमुनादास चेला सुन्दरदास कौम बैरागी नाम मन्दिर माफीदार देन राज ..." का इन्द्राज है। कॉलम नं. 11 में ".....गोविन्ददास वल्द जोहरी बाबाजी सा. गुरधा नदी व हाल आबद नावली खातेदार....।" अंकन किया गया है।

नामान्तकरण संख्या 275 की पुश्त पर ग्रांम पंचायत नावलीं द्वारा दिये गये आदेश से स्पष्ट है कि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज मूर्ती की सेवा पुजा करने वाले पुजारी अहतमाम जमुनादास देहान्त हो जाने से मूर्ती मन्दिर की सेवा पुजा के पुजारी अहतमाम नियुक्त हेतु ग्रांम पंचायत के समक्ष दो प्रार्थना पत्र क्रमशः शिव लाल पुत्र पूरन दास व श्री गोविन्ददास पुजारी पुत्र जोहरी बाबाजी पेश हुये हैं। जिन पर ग्रांम पंचायत ने सर्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

सम्मिति से निर्णय लिया जाकर " मुताविक वसीयतनामा के श्री गोविन्ददास पुजारी पुत्र जोहरी बाबाजी सा. नावली के नाम सर्वसम्मिति से यह दाखिल खारिज मंजूर किया जाता है। और शिव लाल पुत्र पूरन दास का जो वसीयतनामा इससे पहिले था उसके नाम की दरख्वास्त खारिज की जाती है। अतः पटवार कागज़ात में अमल दरामद किया जावे.....।" का निर्णय दिया गया है यहॉ ग्रांम पंचायत ने अपने आदेश में गोविन्ददास पुजारी पुत्र जोहरी को मूर्ती मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की आराजी पर खातेदार दर्ज किये जाने का कोई उल्लेख ग्रांम पंचायत के निर्णय में नहीं है। अगर विवादित आराजी पर विरासत की खातेदारी का दर्ज कराने का होता तो ग्रांम पंचायत विवादित आराजी पर विरासतन खातेदार दर्ज किये जाने आदेश देती परन्तु यहॉ ऐसा नहीं है। नामान्तकरण संख्या 457 के कॉलम 11 में जो इन्द्राज खातेदारी के किये गये है वह नियम विरुद्ध व ग्रांम पंचायत नावली द्वारा लिये गये निर्णय के खिलाफ हैं। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी मूर्ती मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज को माफीदार देन राज थी, जमुनादास चेला सुन्दरदास कौम बाबाजी मंदिर का सेवक/ पुजारी था। पुजारी जमुनादास चेला सुन्दरदास की मृत्यू होने पर विवादित आराजी का नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 25.12.64 को श्री गोविन्ददास पुजारी पुत्र जोहरी बाबाजी सा. नावली के नाम स्वीकार किया जाकर मूर्ती मंदिर की भूमि पर खातेदारी दर्ज कर दी, जो नियमों के विपरीत है। क्यों कि विवादित आराजी मूर्ती मन्दिर बिहारी जी महाराज मूर्ती मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के नाम माफीदारान देन राज थी जो मन्दिर के भोगराग एवं पूजा व्यवस्था आदि के लिये दी गयी थी। जमुनादास चेला सुन्दरदास कौम बाबाजी मंदिर की सेवा पूजा भोग व्यवस्था करता था, ताकि वह खातेदार काश्तकार था। मूर्ती मन्दिर की आराजी पर गलत अंकन हो जाने से किसी भी व्यक्ति को गलत इन्द्राजों के आधार पर मूर्ती मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। मूर्ती मन्दिर सतत नाबालिग श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मूर्ती को शास्वत नाबालिग माना गया है और एक नाबालिग मूर्ती मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही मिल सकते हैं। मूर्ती मन्दिर की भूमि पर नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 25.12.64 श्री गोविन्ददास पुजारी पुत्र जोहरी बाबाजी सा. नावली, खातेदारी दर्ज किया गया है वह नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल स्वीकार किये जाने से काबिल खारिज के रहता है एवं इसके बाद गोविन्ददास पुजारी के मृत्यू के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम नियम विरुद्ध खोले विरासत नामान्तकरण संख्या 67 व 452 नल एण्ड वाईड होने से काबिल खारिज के रहते हैं। अतः नामान्तकरण संख्या 275, 67 व 452 ग्रांम नावली निरस्त किये जाने एवं मूर्ती मन्दिर लक्ष्मीनारायण महाराज जी पर हो रहें अप्रार्थीगण खातेदारी इन्द्राज को कलम जन कराये जाकर विवादित आराजी पर पूर्वतः मूर्ती मन्दिर लक्ष्मीनारायण महाराज जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावें। अस्तु प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को स्वीकार किये जाने हेतु प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स उपयुर्क्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 82 के तहत इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि नियम विरुद्व खोले गये नामान्तकरण संख्या 275, 67 व 452 ग्रांम नावली तहसील बयाना निरस्त किये जावें तथा इसके बाद खोले गये सभी नामान्तकरण वगैराह को शून्य घोषित किया जाकर मूर्ती मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज की विवादित साविक आराजी खसरा नम्बर 88, 951, 955, 956, 958, 952, 953, 975, हाल खसर नम्बर 120, 1911, 1912, 1919, 2304, 2305, 2306, 1908, 1909, 1910, 1914, 1916, 1917, 1915, 2302, 2303, किता 16 रकवा 3.47 है. ग्रांम नावली तहसील बयाना पर हो रहे सभी इन्द्राजात को कलमजन कर मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज के नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 30.09.2021 को उपस्थित हों।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भरतपुर